Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

राकेश वर्मा बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **170** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी **शैलेन्द्र सिंह** हाजिर। सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 10 G 3236** को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी राकेश वर्मा पिता छोटेलाल वर्मा निवासी बेडिया तहसील बडवाना जिला खरगौन मध्य प्रदेश वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गंगरार से कमेन्ट्स मय केस डायरी हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना, गंगरार द्वारा पत्रांक/3662 दिनांक 20.09.2022 अवगत कराया कि प्रकरण में वाहन रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी में उन्होने जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 10 G 3236** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **MP 10 G 3236** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा वाहन को वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः स्वामी/अधिकृत स्वामी द्वारा रुपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ 20.09.2022	